



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैंगेस्टर एक्ट में 03 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 15,000/- के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिंवार में पंजीकृत मु0अ0सं0-88/2013 धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय ईसी एक्ट/ गैंगे0एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.टीटू सिंह पुत्र जगत सिंह 2.आशुतोष शर्मा उर्फ राणा पुत्र बृजकिशोर 3.मुनइया उर्फ जीतेन्द्र निवासीगण ग्राम अतरार थाना बिंवार जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 5,000-5000 अर्थदंड से दण्डित किया गया ।



अभियोजक-
एडीजीसी सुशील कुमार
त्रिपाठी



विवेचक-
उ0नि0 रामाश्रय
यादव



पैरोकार- थाना बिंवार
का0 श्रीकान्त राजपूत